प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को समाहित करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा 2010–11 से 2015–16 की अवधि के लिए की गई थी।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2015–16 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।